



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 29.07.2024

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा कार चोरी करने वाला एक शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 कार बरामद।

आज दिनांक 29.07.2024 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा महाराजपुर टी प्वाइंट पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक ब्रेजा कार रजि0नं. DL1CAD5450 को रूकवाकर चैक किया गया तो गाड़ी चला रहा व्यक्ति गाड़ी से उतकर भागने लगा शक होने पर भाग रहे व्यक्ति को पकड़ लिया गया और नाम व पता पूछते हुए भागने का करण पूछा तो व्यक्ति ने अपना नाम प्रदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तुर्किया वास थाना रेवाडी जिला रेवाडी हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष बताया तथा ब्रेजा कार के कागजात के बारे में पूछताछ की गई तो बताया कि यह गाड़ी चोरी की है। जिसे मैंने तिलकनगर दिल्ली से चुराया था। जिसे मैं आज राजस्थान बेचने जा रहा था। सख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्त की निशादेही पर चोरी की एक और ब्रेजा कार रजि0 नं0 DL8CAR1672रंग ग्रे बरामद की गयी। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त ने बताया कि यह गाड़ी मैंने राजौरी गार्डन दिल्ली से पहले चोरी की थी। गाड़ी की नंबर प्लेट हटाकर मैंने गाड़ी को ग्राम महाराजपुर में खड़ा कर दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि पैसों की तंगी के कारण मैं रैपिडो बाइक चलाता हूँ। रैपिडो बाइक बुकिंग के दौरान ही मैं छेत्र में रैकी करता हूँ। जो गाड़ियाँ काफी दिनों से खडी हुई लगती है। उन गाड़ियों का शीशा तथा लोक तोड़कर चोरी कर लेता हूँ। मैं ब्रेजा गाड़ियों का ही लोक तोड़ना जानता हूँ। तथा कार चोरी करके कहीं भी खडी कर देता था। जिससे पुलिस कोई शक न हो तथा मौका पाकर चोरी की गाड़ियों को राजस्थान में ले जाकर अन्जान व्यक्तियों को बेच देता था। कार की चोरी मैं अकेला ही करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

प्रदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तुर्किया वास थाना रेवाडी जिला रेवाडी हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की 02 ब्रेजा कार बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उपरोक्त पर गाजियाबाद के थाना लिंकरोड पर चोरी के वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना तिलक नगर दिल्ली पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना राजौरी गार्डन दिल्ली पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अन्य राज्यों में अभियुक्त के विरुद्ध चोरी से सम्बन्धित 08 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल 11 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 03 अदद मोबाइल बरामद तथा 21 राज्यों की 250 घटनाओं में 5 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा, 8 लाख रुपये की रिकवरी ।

दिनांक 24.01. 2024से दिनांक25 .04.2024 के मध्य श्री संजय कटियार से कुल 1,37,00,000/- रुपये विभिन्न खातों में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर ट्रांसफर कराकर ठगी की गयी । उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री संजय कटियार द्वारा दिनांक 01.05.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस मुकदमे का अनावरण कर सम्बन्धित अभियुक्तों को फ्राड में प्रयोग की गयी सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया, वादी मुकदमा के 8 लाख रुपये के रिफण्ड की कार्यवाही प्रचलित है ।

अपराध कारित करने का तरीका

अभियुक्त गण द्वारा वादी मुकदमा से फेसबुक से सम्पर्क कर व्हाट्सएप नंबर से चैटिंग करते हुए एक क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिंग वेबसाइट <https://www.lsecbuy.com> के बारे में बताया तथा क्रिप्टो करेन्सी के द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने का विश्वास दिलाया, मुकदमा उपरोक्त में अभि0 गण द्वारा संगठित रूप से फर्जी फर्म बनाकर उसके नाम पर करेन्ट बैंक अकाउन्ट खोलकर, अवैधानिक तरीके से सिम प्राप्त कर उसी सिम से व्हाट्सअप/टेलीग्राम आईडी बनाकर व्हाट्सअप/टेलीग्राम चैट करके वादी मुकदमा के साथ फर्जी क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिंग पोर्टल बनाकर उसे प्रलोभित कर फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग कराकर विभिन्न बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 37 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई । वेबसाइट पर मुनाफे के रूप में एक राशि लगातार बढ़ते क्रम में दर्शायी जाती थी। बड़े हुए मुनाफे को निकालने के लिये और पैसा जमा करवाया जाता था।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त प्रदीप कुमार ई रिक्शा चलाता है तथा सुमित कुमार चार्जिंग सेन्टर चलाता था व लेबर कार्ड बनाने का काम करता था, सुमित व प्रदीप ने मिलकर खाता संख्या 252517012024 IFSC INDB0001743, CHARGING POINT HOUSE NO 19/22/1 GROUND FLOOR,WEST MOTI BAGH,SARAI ROHILLA,NORTH WEST DELHI खुलवाया तथा सुमित ने इस फर्म के खाते को आकिफ फरहान खान उर्फ मनन पुत्र वसी अहमद खान उर्फ विककी निवासी ओल्ड स्टेशन रोड थाना प्लांट साइट, राउरकेला जिला सुन्दरगढ़ उडीसा को बेचा, आकिफ फरहान खान उर्फ मनन ने इस खाते को आगे बादल नाम के व्यक्ति को बेचा । इनके द्वारा खुलवाये गये इन फर्जी खातों में साइबर फ्रॉड के आये हुए पैसे के अनुपात में कमीशन प्राप्त होता था ।

आकिफ फरहान खान उर्फ मनन उडीसा से नोएडा में T- Series Studios GKFTII सेक्टर 16 फिल्म सिटी नोएडा में Additional Director का 1 वर्ष का कोर्स करने 2019-2020 में आया था । उसके बाद आकिफ दिल्ली आता जाता रहता था, उसी दौरान भुवनेश्वर उडीसा के बादल नाम के व्यक्ति से मिला । बादल बैंको के खाते साइबर अपराधियों को खरीदने बेचने का काम करता है ।

इस गैंग के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के जितेन्द्र विश्वकर्मा थाना क्षेत्र साइबर क्राइम के साथ 1,01,000 रुपये , रिचा वर्मा निवासी थाना क्षेत्र गोमती नगर एक्सटेंशन के साथ 1,75,42,079 रुपये, सौरभ सिंह पटेल निवासी थाना क्षेत्र आलमबाग के साथ 20,44,400 रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया है।

इस गैंग के द्वारा फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग साइबर अपराध कर 21 राज्यों में 250 घटनाओं में कुल 5 करोड़ से अधिक रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. प्रदीप कुमार पुत्र एवरन सिंह निवासी ग्राम चकरपट्टी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) हाल पता गुलाईबाग पिलर नं0 150 शास्त्रीनगर मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली-111007 शिक्षा - 9वीं उम्र 23 वर्ष पेशा - ई रिक्शा चालक ।

2. सुमित कुमार पुत्र छगनलाल निवासी ग्राम खोर्ा मलावली जनपद अलवर (राजस्थान) हाल पता सी-9/89, सुल्तानपुरी थाना सुल्तानपुरी दिल्ली शिक्षा - 10वीं उम्र 26 वर्ष पेशा - चार्जिंग सेंटर व लेबर कार्ड बनाना ।
3. आकिफ फरहान खान उर्फ मनन पुत्र वसी अहमद खान उर्फ विक्की निवासी ओल्ड स्टेशन रोड थाना प्लांट साइट, राउरकेला जिला सुन्दरगढ़ उडीसा 769001 शिक्षा - B.com, GKFTII उम्र 24 वर्ष पेशा - ट्रांसपोर्टर ।

बरामदगी का विवरण - 03 अदद मोबाइल फोन, 8 लाख रुपये के रिफण्ड की कार्यवाही प्रचलित ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।



थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल व एक फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

आज दिनांक 29.07.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा ताहिरपुर कट शालीमार गार्डन पर चेकिंग के दौरान एक मोटर साइकिल जिस पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे । जिन्हें रोकने पर कागजात चैक किए गए तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि मोटर साइकिल चोरी की है । पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों ने अपना नाम व पता 1. नाजिम पुत्र शाकिर खान निवासी लक्ष्मण गार्डन प्लाट न0 21 खसरा न0 345 थाना टीलामोड साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष 2. अय्यूब उर्फ सोनू पुत्र कवलदीन निवासी गरिमा गार्डन लक्ष्मण गार्डन ए-74 थाना टीलामोड साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष दोनों अभियुक्तों को चोरी की एक मोटर साइकिल व एक फर्जी नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि यह मोटर साइकिल हम लोगों ने दिल्ली से चोरी की थी । तथा चोरी किए वाहनों को दिल्ली में ही बेच देते हैं । पुलिस से बचने के लिए फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर गाड़ियों को चलाते हैं । इस मोटर साइकिल को भी आज बेचने के लिए ले जा रहा थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. नाजिम पुत्र शाकिर खान निवासी लक्ष्मण गार्डन प्लाट न0 21 खसरा न0 345 थाना टीलामोड साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र -28 वर्ष

2. अय्यूब उर्फ सोनू पुत्र कवलदीन निवासी गरिमा गार्डन लक्ष्मण गार्डन ए-74 थाना टीलामोड साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की एक मोटर साइकिल व एक फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दिल्ली में वाहन चोरी के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम